छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)
Ph.No.-0771-2512121, Website:-www.cghb.gov.in

!! आदेश !!

क्रमांक – 31
दिनांक 23/12/2020

विषयः–छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित आवासीय/व्यवसायिक संपत्ति के मूल्य निर्धारण प्रचलित कलेक्टर गाईड–लाईन दर या पूँजीगत ब्याज भारित कर जिसमें भी मण्डल के संपत्ति के विरुद्ध अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है, के आधार पर मूल्य निर्धारित करने बाबत्।

---000---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 66वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 09.12.2020 के पद संख्या क्रमांक 06 पर पारित संकल्प क्रमांक 1849/06/66/12/2020 के द्वारा संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

1. रिक्त संपत्तियों का मूल्य निर्धारण मुख्यालय स्तर के समिति के अनुशंसा पश्चात् आयुक्त द्वारा किये जाने हेतु मण्डल मुख्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 15 दिनांक 22.10.2020 को स्वीकृति प्रदान की गई है।
2. रिक्त संपत्तियों का पूँजीगत ब्याज भारित कर मूल्य निर्धारण करने हेतु मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 76 दिनांक 21.11.2016 को निरस्त किया जाता है।
3. मण्डल द्वारा अविक्रित आवासीय/व्यवसायिक संपत्ति के दरों के निर्धारण में प्रचलित कलेक्टर गाईड–लाईन दर या पूँजीगत ब्याज भारित करने उपरांत निर्धारित भूमि मूल्य इनमें से जो भी अधिक है, उस पर मूल्य निर्धारण को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक–1,2,3 का मण्डल समिति की अनुशंसा अनुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए अन्य सभी प्रकार की कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र.2267/आ.आ./सं.प्र.शा./मुख्या/एफ. /20 नवा रायपुर अटल नगर,दिनॉक23/12/2020

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

क्रमशः–02

2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर आयुक्त,(जे/व्ही/पी), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
7. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त–रायपुर/वृत्त–नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर /अंबिकापुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
9. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग–01,02,03,04 रायपुर/राजधानी परियोजना संभाग–01,02 नवा रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ़ / कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
11. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–01,02,03,04, रायपुर /राज.परि.रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/ अंबिकापुर /कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संपदा अधिकारी (प्रभारी), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ
13. प्रभारी, एन.आई.सी., छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ
14. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.)